बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषयः— बिहार दन्त चिकित्सक सेवा के दन्त चिकित्सकों हेतु स्वीकृत डायनेमिक ए0सी0पी0 के वैचारिक लाभ को दिनांक—14.10.2014 से एवं वित्तीय लाभ दिनांक—01.04.2017 के प्रभाव से स्वीकृत करने के संबंध में।

बिहार स्वास्थ्य सेवा, बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा एवं आयुष प्रक्षेत्र के चिकित्सकों/चिकित्सक शिक्षकों को स्वीकृत डायनेमिक ए०सी०पी० के प्रावधान के समरुप ही विभागीय अधिसूचना संख्या—2184(2) दिनांक—06.12.2023 से निर्गत बिहार दन्त चिकित्सक सेवा (संशोधन) नियमावली—2023 के द्वारा बिहार दन्त चिकित्सक सेवा के दन्त चिकित्सकों को भी डायनेमिक ए०सी०पी० का प्रावधान स्वीकृत किया गया है। फलस्वरुप डायनेमिक ए०सी०पी० का यह प्रावधान उक्त संशोधन नियमावली निर्गत होने की तिथि अर्थात् दिनांक—06.12.2023 के प्रभाव से वर्त्तमान में लागू है।

2. उल्लेखनीय है कि विभागीय संकल्प संख्या—89(2), दिनांक—25.01.2018 द्वारा बिहार स्वास्थ्य सेवा एवं बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा के चिकित्सकों/चिकित्सक शिक्षकों को डायनेमिक ए०सी०पी० का वैचारिक लाभ दिनांक—29.10.2008 से एवं वित्तीय लाभ दिनांक—01.04.2017 के प्रभाव से स्वीकृत किया गया है। साथ ही विभागीय संकल्प संख्या—1556(आ०चि०) दिनांक—04.12.2018 द्वारा आयुष प्रक्षेत्र के चिकित्सकों/चिकित्सक शिक्षकों को डायनेमिक ए०सी०पी० का वैचारिक लाभ दिनांक—21.12.2010 से एवं वित्तीय लाभ दिनांक—01.04.2017 के प्रभाव से स्वीकृत किया गया है।

3. तद्नुसार बिहार स्वास्थ्य सेवा, बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा एवं आयुष प्रक्षेत्र के चिकित्सको/चिकित्सक शिक्षकों को स्वीकृत डायनेमिक ए०सी०पी० के प्रावधान के समरुप ही बिहार दन्त चिकित्सक सेवा के दन्त चिकित्सकों को स्वीकृत डायनेमिक ए०सी०पी० के उक्त प्रावधान का वैचारिक लाभ "बिहार दन्त चिकित्सा सेवा नियमावली, 2014" (मूल नियमावली) के निर्गत होने की तिथि यथा दिनांक—14.10.2014 से एवं वित्तीय लाभ दिनांक—01.04.2017 के प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

4. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन राजकीय गजट के असाधारण अंक में किया जाय तथा इसकी 25 प्रतियाँ स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

670(2)
29/04/2025.

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/—

(शैलेश कुमार)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2/नियुक्ति–14/2021– 670(2) **पटना, दिनांक– 29/04/2025**

प्रतिलिपिः ई–गजट प्रभारी, गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०)विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय, विभाग, बिहार, पटना/सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयेाग, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार/सभी प्राचार्य एवं अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बिहार/प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, पटना, मुजफ्फरुपर, भागलपुर/क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी, दरभंगा, पटना, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर/निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, हड्डी अस्पताल, राजवंशी नगर, पटना/निदेशक, न्यू गार्डिनर रोड, अस्पताल, पटना/निदेशक, राजेन्द्र नगर, अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल, पटना/निदेशक, मानसीक आरोग्यशाला, कोईलवर, भोजपुर/फिल्ड डिमोन्सट्रेशन सेन्टर, राजगीर/निदेशक, यक्ष्मा प्रशिक्षण केन्द्र, दरभंगा एवं पटना/निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना/अधीक्षक, गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी, पटना/अधीक्षक, संक्रामक रोग अस्पताल, अगमकुआँ, पटना/अधीक्षक, लेडी एल्गीन जनाना अस्पताल, गया/एम०जे०के० अस्पताल, बेतिया/सभी कोषगार पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः प्रभारी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–3,9,17,18ए, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/4/25

सरकार के विशेष सचिव